रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-11102025-266867
CG-GJ-E-11102025-266867

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 667] **नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 8, 2025/आश्विन 16, 1947**
No. 667] **NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 8, 2025/ASVINA 16, 1947**

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 29 सितम्बर, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निष्पादन समीक्षा समिति) (संशोधन) विनियम, 2025

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/009.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 17 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निष्पादन समीक्षा समिति) विनियम, 2022 (जिसे आगे मुख्य विनियम कहा जाएगा) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निष्पादन समीक्षा समिति) (संशोधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।

   (2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. मूल विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (i) में, "दो सदस्यों"शब्दों शब्दों को, "कम से कम दो सदस्य" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ii) में, "प्रत्येक पुनरीक्षण कार्य के लिए" शब्दों को विलोप कर दिया जाएगा।

4. मूल विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में नामित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा व्यक्ति-

(क) सदस्य के रूप में नियुक्ति की तारीख को पचहत्तर वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो;

(ख) किसी भी समय दिवाला घोषित किया गया हो;

(ग) किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो जो एक सौ अस्सी दिन या उससे अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय हो;

(घ) शारीरिक या मानसिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो; या

(ङ) का उसके हितों के साथ कोई भौतिक टकराव हो और वह ऐसे टकराव का समाधान करने में असमर्थ हो।"

5. मूल विनियमों के विनियम 3 में, उप-विनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(4) समिति का कोई सदस्य उप-विनियम (3) के अधीन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय, बोर्ड को कम से कम छह सप्ताह का लिखित नोटिस देकर समिति से त्यागपत्र दे सकता है, और बोर्ड द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाने पर, वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा।"

6. मूल विनियमों के विनियम 3 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"3क. सदस्यों के लिए आचार संहिता

(1) समिति का प्रत्येक सदस्य अनुसूची में निर्दिष्ट घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करेगा।

(2) निम्नलिखित संहिता का उद्देश्य समिति के सदस्यों को उनके नैतिक आचरण पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे जनता का विश्वास बढ़ेगा:

(i) सदस्य अपने पद की सत्यनिष्ठा, गरिमा और प्रतिष्ठा के अनुरूप कार्य करेंगे।

(ii) सदस्य निर्णय के लिए या अन्यथा आने वाले किसी भी मामले के संबंध में हितों के टकराव की जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रकट करेंगे और यदि आवश्यक हो, तो विशिष्ट कार्यवाही से स्वयं को अलग कर लेंगे।

(iii) सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि समिति के सदस्य के रूप में उन्हें प्राप्त सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर या अनजाने में प्रकट नहीं की जाएगी।

(iv) सदस्य सार्वजनिक पद के अनुरूप, सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे।

7. मूल विनियमों के विनियम 8 के शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"8. बैठकें, गणपूर्ति और समन्वय"

8. मूल विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (1) में, "दो बार" शब्द के स्थान पर, "एक बार" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

9. मूल विनियमों के विनियम 8 में, उप-विनियम (2) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) कार्य संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति समिति की कुल सदस्यों की संख्या की आधी होगी, जिसमें प्राधिकरण के कम से कम एक सदस्य और एक स्वतंत्र विशेषज्ञ की उपस्थिति अनिवार्य होगी;"

10. मूल विनियमों के विनियम 8 में, उप-विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) समिति के प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा और मतों की संख्या समान होने की स्थिति में, समिति के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।"

11. विनियम 9 में, अंक और चिह्न "(क)", "(ख)", "(ग)", "(घ)" और "(ङ)" को क्रमशः "(1)", "(2)", "(3)", "(4)" और "(5)" पढ़ा जाएगा।

12. मूल विनियम के विनियम 10 के उप-विनियम (1) में, शब्द और चिह्न "प्रत्येक समीक्षा क्षेत्र के निष्कर्ष शामिल करते हुए" का विलोप कर दिया जाएगा।

13. मूल विनियम के विनियम 10 के उप-विनियम (2) में, शब्द और अंक "धारा 17(2)" को शब्द और अंक "धारा 17 की उप-धारा (2)" से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

14. मूल विनियमों के अंत में, निम्नलिखित को अनुसूची के रूप में अन्तःनिष्ठ किया जाएगा, अर्थात्:-

अनुसूची

(विनियम 3क देखें)

निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा का प्रारूप

मैं, ______________________, समिति का सदस्य बनने पर, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से घोषणा करता/करती हूँ कि मैं अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूँगा/करूँगी और अपने पद की गरिमा बनाए रखूँगा/रखूँगी तथा गोपनीयता बनाए रखूँगा/रखूँगी और अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान मेरे संज्ञान में आने वाली किसी भी बात या जानकारी को, सिवाय इसके कि जब इन विनियमों या कानून द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक या अधिकृत किया गया हो, सीधे तौर पर संप्रेषित या प्रकट नहीं करूँगा/करूँगी।

तारीख:

(हस्ताक्षर)

प्रवीण त्रिवेदी, कार्यकारी निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./401/2025-26]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 29th September, 2025

International Financial Services Centres Authority (Performance Review Committee) (Amendment) Regulations, 2025

F. No. IFSCA/GN/2025/009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (4) of Section 17 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the International Financial Services Centres Authority (Performance Review Committee) Regulations, 2022 (hereinafter referred to as the principal regulations), namely:-

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Performance Review Committee) (Amendment) Regulations, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the principal regulations, for the words "two members", the words "At least two members" shall be substituted.
3. In clause (ii) of sub-regulation (1) of regulation 3 of the principal regulations, the words "for each review function" shall stand deleted.
4. In sub-regulation (2) of regulation 3 of the principal regulations, the following proviso shall be inserted, namely:-

"*Provided* that no person shall be nominated as an independent expert, in case such person-

(a) has completed the age of seventy-five years on the date of appointment as Member;

(b) has been at any time, adjudged as an insolvent;

(c) has been convicted of an offence which is punishable with an imprisonment for a term of one hundred and eighty days or more;

(d) is physically or mentally incapable of discharging his duties; or

(e) has a material conflict of interest and is unable to resolve such conflict."

5. In regulation 3 of the principal regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(4) A member of the Committee may resign from the Committee, at any time before the expiry of his tenure under sub-regulation (3), by giving to the Board, a written notice of not less than six weeks, and on the acceptance of the resignation by the Board, he shall cease to be a Member of the Committee."

6. After regulation 3 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely:-

"**3A**. **CODE OF CONDUCT FOR MEMBERS**

(1) Every member of the Committee shall sign a declaration as specified in the Schedule.

(2) The following code aims at providing broad guidance to Members of the Committee on their ethical conduct, which shall help enhance public trust:

(i) Members shall act in a manner consistent with the integrity, dignity and reputation of their office.

(ii) Members shall disclose any conflict of interest with regard to any matter that comes up for decision or otherwise to the Board and, if necessary, recuse themselves from the specific proceedings.

(iii) Members shall ensure that all information received by them as a Member of the Committee shall be kept confidential and shall not be revealed to any person either knowingly or unknowingly.

(iv) Members shall maintain the highest standards of probity, consistent with public office."

7. Title of regulation 8 of the principal regulations shall be substituted with the following, namely:-

"**8. MEETINGS, QUORUM AND COORDINATION**"

8. In sub-regulation (1) of regulation 8 of the principal regulations, for the word "twice", the word "once" shall be substituted.

9. In regulation 8 of the principal regulations, for sub-regulation (2) the following shall be substituted, namely:-

"(2) The quorum necessary for the transaction of business shall be half of the total strength of the Committee, wherein the presence of at least one member of the Authority and one independent expert shall be mandatory;"

10. In regulation 8 of the principal regulations, after sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"(2A) Each Member of the Committee shall have one vote and in the event of an equality of votes, the Chairperson of the Committee shall have the casting vote."

11. In regulations 9, the figure and mark "(a)", "(b)", "(c)", "(d)" and "(e)," shall be read as "(1)", "(2)", "(3)", "(4)" and "(5)", respectively.

12. In sub-regulation (1) of regulation 10 of the principal regulations, the words and mark "containing the findings of each review area," shall stand deleted.

13. In sub-regulation (2) of regulation 10 of the principal regulations, for the word and figures "section 17(2)" the words and figures "sub-section (2) of section 17" shall be substituted.

14. At the end of the principal regulations, the following shall be inserted as the Schedule, namely:-

SCHEDULE

(see regulation 3A)

FORM OF DECLARATION OF FIDELITY AND SECRECY

I, ______________________, on becoming a member of the Committee, do solemnly and sincerely declare that I will faithfully perform the duties to the best of my ability and that I will uphold the dignity of the position and that I will observe secrecy and will not directly communicate or divulge any of the matters or any information which may come to my knowledge in the discharge of my duties, except when required or authorised to do so by these regulations or by law.

Date

(Signature)

PRAVEEN TRIVEDI, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./401/2025-26]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.11 16:13:12 +05'30'